

लेमिनेशन इकाईयों के आवेदन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है—

- i) आवेदक द्वारा वन विभाग के काष्ठ आधारित उद्योग के रजिस्ट्रेशन हेतु विकसित वेब पोर्टल में आनलाइन आवेदन किया जायेगा।
- ii) आवेदक द्वारा सम्बन्धित सूचनायें भरी जायेंगी। तत्पश्चात आवेदन के साथ Non-Refundable Processing fee **रु0 5,000** (रुपये पाँच हजार मात्र) जमा कराया जाना होगा। Processing fee जमा किये जाने के पश्चात ही रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन फार्म **Submit** माना जायेगा।
- iii) आवेदन का सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा परीक्षण कर अपनी आख्या आनलाइन राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित करनी होगी।
- iv) राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण किया जायेगा एवं पात्र इकाईयों का रजिस्ट्रेशन हेतु अनुमोदन किया जायेगा।
- v) राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात आवेदक को रजिस्ट्रेशन शुल्क 30 दिन के भीतर आनलाइन जमा कराया जाना होगा। अपरिहार्य परिस्थिति में आवेदक के अनुरोध पर उक्त अवधि को अध्यक्ष, राज्य स्तरीय समिति द्वारा 30 दिन का सीमा विस्तार प्रदान किया जा सकता है।
- vi) तदपश्चात सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इकाई का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आनलाइन निर्गत किया जायेगा।